

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-फ०बी०यो०-02-18/2012(खण्ड-II)/

/पटना, दिनांक- मार्च, 2016

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार दास,
वरीय संयुक्त निदेशक।

सेवा में,

अपर सचिव,
मुख्यमंत्री सचिवालय,
बिहार, पटना।

विषय:-

मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त आवेदन संख्या-000001502162090 श्री सुजीत कुमार झा एवं 000001502163165 श्री उमेश रजक के प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि योजना एवं विकास विभाग(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के विज्ञापन संख्या-फ.बी.यो.-09/2010 में स्पष्ट किया गया था कि पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता माह अक्टूबर, 2010 से जून, 2011 तक विभागीय कार्य निर्धारित दर पर कर सकते हैं। विज्ञापन की शर्त Universal Agreement होती है। उस शर्त के अधीन कार्य करने वाले अस्थायी कर्मी उस शर्त के पालन करने हेतु बाध्य होते हैं। विज्ञापन के शर्तों के आधार पर जून, 2011 के बाद वे अपने नियोजन का दावा नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन के शर्तों के अनुसार कर्मी को जून, 2011 के बाद हटाया जाना विधि सम्मत है।

विश्वासभाजन

ह०/-

वरीय संयुक्त निदेशक।

ज्ञापांक- 484

दिनांक- 18/03/16

प्रतिलिपि:-

1. श्री कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. विशेष कार्य पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार के पत्र सं.-9022 दिनांक-27.11.2015 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रशाखा पदाधिकारी-2, जन शिकायत कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रशाखा पदाधिकारी स्था०-1, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. श्री उमेश रजक, ग्राम+पो.-कलवारी, थाना-कांटी, जिला-मुजफ्फरपुर, को सूचनार्थ प्रेषित।
7. श्री सुजीत कुमार झा, पिता-रामबाबू चौधरी, ग्राम+पो.-ठिकहाँ, बकटपुर, थाना-कांटी, जिला-मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

6
17/3/16
वरीय संयुक्त निदेशक।